



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

	 <p>कार्यालय Office of the मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager, बिलासपुर - (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)</p>
दर परिपत्र स. 45(माल)/2017	Rates Circular No.45(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/Container/Policy/Pt.I/1206

दिनांक / Date: 02/03/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर/ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए.) द.पू.म.रे. बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, /

CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, /Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,

महाप्रबंधक,, सीएओ/एफओआईएस, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,

कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

**विषय / Sub:- Movement of Restricted Commodities (Quick Lime) in Containers.**

संदर्भ / Ref:- (i) Railway Board's letter No. 2008/TT-III/73/8 dated 01.07.2008.

(ii) This office Rates Circular No. 105(G)/2008.

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या **2011/TT-III/73/9** दिनांक **22/02/2017** (Container Train Circular : 02/2017), आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Contd...2.

**Rates Circular No. 45(G)/2017**

Attention is invited to Railway Board letter under reference, wherein at Para 5.1 it was notified that Ores, Minerals, Coal and Coke will be the Restricted Commodities for movement by Containers.


The issue of permitting movement of some of the restricted commodities whose movement by IR General Service Wagons is miniscule has been examined in Railway Board and approval of Railway Board is hereby communicated for permitting movement of "Quick Lime" in Containers for One year on experimental basis under FAK rates.

The above permission comes into force with effect from 01.03.2017 and will be valid till 28.02.2018. Divisions/SEC Railway shall closely watch the movement of "Quick Lime" from their Divisions to ascertain incremental quantity and earnings from movement of "Quick Lime" and furnish a monthly report on the same.

FOIS/CRIS may capture the loading of quick lime in container trains under separate code issued by Railway Board vide letter No. 2013/Stat.V/83/2/Code Pt.I dated 14.02.2017 for analysis in the future.

This issues with the approval of Traffic Commercial and concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।

  
( जे0एन0 साबत ) 1.3.17  
उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक / विपणन  
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक